'कर्बला में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का विरोध किया तो पुलिस ने पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार को थाने में बैठाया, गाली-गलौच की'

विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पहले थाने पहुंचे, फिर पीड़ितों को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलकर एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी और एसीपी चंद्र सिंह रावत की शिकायत की

जयपुर (कासं)। कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने से मुस्लिम समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। क्रिकेट मैच का विरोध करने वाले पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार के साथ आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी ने गाली-गलौच करके और हाथ-पांव तोड़ने की धमकी तक दे डाली। बाद में ब्रह्मपुरी थाने में जब विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पहुंचे तो पुलिस ने दोनों को छोड़ा। हालांकि पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मिलकर दोनों अफसरों की शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करने के लिये पप्पू कुरैशी और युनूस चौंपदार पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। उनके साथ विधायक रफीक खान और अमीन कागजी के अलावा कई समर्थक मौजूद थे।

- **कर्बला मैदान में जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर मुस्लिम समाज में छाया है रोष**

पीड़ित पप्पू कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए कर्बला का मैदान पवित्र है। यहां जलदाय मंत्री के पुत्र रोहित ने अपनी जिद के कारण क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया। इससे मुस्लिम समाज में रोष छाया हुआ है। पिछले दिनों जब हमने विरोध जताया तो शुक्रवार को आमेर एसीपी चंद्र सिंह रावत और थानाधिकारी प्रदीप सिंह ने कर्बला मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते वक्त पप्पू कुरैशी, यूनूस चौंपदार और जहीम कुरैशी को चाय पिलाने के बहाने ब्रह्मपुरी थाने ले जाकर बैठा लिया। पप्पू कुरैशी का आरोप है कि थाने में पहले से मौजूद एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी और एसीपी चंद्र सिंह रावत ने बंद कमरे में बैठाकर डराया-धमकाया और मोबाइल छीनकर पुलिसकर्मी को दे दिया। मंत्री पुत्र रोहित के द्वारा करवाये जा रहे टूर्नामेंट का विरोध करने पर दोनों ने धमकाया कि "तुझे पता नहीं है कि तू कितने ताकतवर नेता से टक्कर ले रहा है, या फिर तू ही ज्यादा इंटरनेशनल नेता बन रहा है। तेरे साथ ऐसा करेंगे कि समझ नहीं पायेगा। हमने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाल ली है, आज से ही तेरी उल्टी गिनती शुरू है। तेरे चैनपुरा में कारोबार को बर्बाद कर देंगे, ऐसे-ऐसे मुकदमें लगाएंगे कि जेल से बाहर नहीं निकल पायेगा।"

पीड़ितों का कहना है कि पुलिस अफसरों के इस रवैये का विरोध जताना चाहा तो कुछ पुलिसकर्मियों को बुलाकर पीछे खड़ा कर दिया और गालियां देते हुए हाथ और गर्दन तोड़ने तक की धमकी दे डाली।

पप्पू कुरैशी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान और किशनपोल विधायक अमीन कागजी थी ब्रह्मपुरी थाने पर पहुंचे, जिस पर दोनों पुलिस अफसरों ने हमें छोड़ दिया। जब हमने दोनों विधायकों को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मिलकर शिकायत करने को कहा। इसके बाद पीड़ित पप्पू कुरैशी और यूनूस चौंपदार ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर आयुक्त आनंद श्रीवास्तव को पूरा मामला बताकर दोनों अफसरों को तुरंत सस्पैंड करने की मांग की। अब मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। पीड़ितों ने कहा कि पुलिस का ऐसा घिनौना और खतरनाक चेहरा बेहद घातक है। मंत्री महेश जोशी के दबाव में आकर दोनों अधिकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे है। इन्हें तुरंत सस्पैंड करके नॉन फील्ड करना चाहिए।

जयपुर में ओले

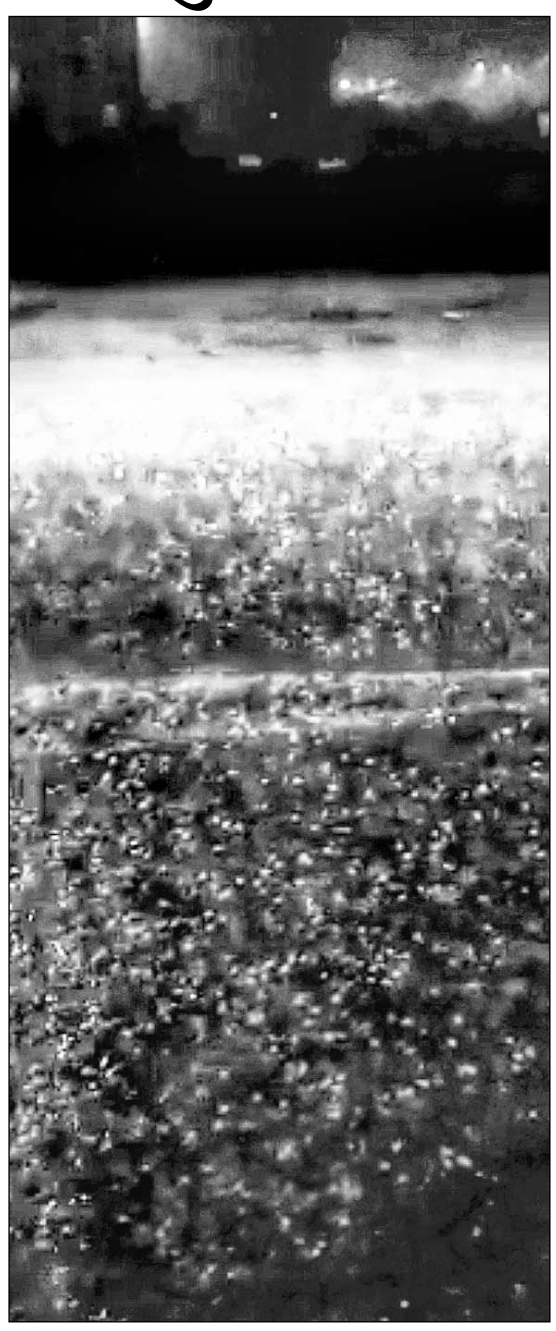

जयपुर के कई इलाकों में शुक्रवार को ओले पड़े। प्रतापनगर सेक्टर 26 में सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई।

कोटपूतली नगरपालिका में अगले 45 दिन तक किसी भी निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-

- **अदालत ने याचिकाकताओं को राहत देते हुए नगरपालिका को निर्देश दिया कि 30 दिन के भीतर वह सभी दुकानदार व मकान मालिकों की सुनवाई करे और फिर आदेश पारित करे**
- **अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी दुकानदार या मकान मालिक नगरपालिका के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह अगले 15 दिन में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है**

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में कोटपूतली के 39 व्यापारियों और मकान मालिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिन्हें स्थानीय नगरपालिका ने सड़क चौड़ी करने और रास्ते में आने वाली सभी स्थायी व अस्थायी निर्माण को तोड़ने के संबंध में नोटिस भेजा था और चिन्हित किया था। मामले में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने याचिकाकताओं को राहत देते हुए नगरपालिका को निर्देश दिया और कहा 30 दिन के भीतर वह सभी दुकानदार व मकान मालिकों की सुनवाई करे और फिर उपरोक्त आधार पर आदेश पारित करे।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि कोई भी दुकानदार या मकान मालिक नगरपालिका के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह अगले 15 दिन में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने नगरपालिका को अगले 45 दिन तक किसी भी निर्माण को तोड़ने पर कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी। इस मामले में पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता सचिन बोरा ने याचिकायें दायर की थी और वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहायक वकील मधूसुदन राजपुरोहित अदालत में पेश हुए थे।

जैसा कि विदित है कि इस मामले दिसंबर माह में एक मकान मालिक ने कोटपूतली में हाई वे से संलग्न सड़क का विस्तार करने के लिए कई निर्माणों को तोड़ने के संबंध में नगर पालिका द्वारा जारी किये गये नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। तब भी अदालत ने नगर पालिका के नोटिस को अवैध करार दिया था क्योंकि नगर पालिका ने कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था, और नोटिस में यह नहीं बताया था कि सड़क पर कहां-कहां अतिक्रमण है जिसे हटाया जाना है। साथ ही नगर पालिका ने मकान मालिकों और दुकानदारों को जमीन अवाप्त करे बिना ही उनके निर्माणों को तोड़-फोड़ के लिए चिन्हित कर लिया था। अदालत ने इस मामले से संबंधित अन्य पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई करी है और नगर पालिका को दुकानदारों व मकान मालिकों में सुनवाई कर निर्णय लेने कहा है और तब तक किसी भी निर्माण पर कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है।

प्रदेश में बाट, माप व पैकेज नियमों से संबंधित 104 निरीक्षण किये

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने 1 जनवरी से प्रारम्भ हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में प्रदेश में गुरूवार को 104 निरीक्षण किये और पाई गई अनियमिताओं के अन्तर्गत बाट व माप से संबंधित 38 प्रकरण व पैकेज नियमों का उल्लंघन करने पर 20 प्रकरण दर्ज किए। 55 प्रकरणों में शमन स्वरूप 1 लाख 21 हजार 500 रूपये की राशि राजकोष में जमा करवाई। 3 प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान की टीम द्वारा प्रदेशभर में निरन्तर निरीक्षण और कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कुल 470 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें से बाट व माप से संबंधित 162 प्रकरण व पैकेज नियमों से संबंधित 69 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

आयोग ने उपभोक्ता पर लगाया हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने परिवाद की सुनवाई के लिए बिना कारण हवाई टिकट बुक करने वाले एजेंट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही आयोग ने उपभोक्ता पर सात हजार पांच सौ रुपए का हर्जाना लगाते हुए परिवाद खारिज कर दिया है। आयोग ने हर्जाना राशि एक माह में बुकिंग एजेंट को देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश मोहम्मद हारुन के परिवाद पर दिए।

आयोग ने कहा उपभोक्ता कानून ग्राहक के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन इसके आधार पर उपभोक्ता को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बुकिंग एजेंट का काम सिर्फ टिकट बुकिंग तक ही सीमित था। इसके अलावा परिवादी की यात्रा भी मुम्बई में पूरी हो गई थी। ऐसे में बुकिंग एजेंट को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। परिवाद में कहा गया कि वह व्यवसाय के काम से मुम्बई होते हुए लुसाका गया था। इसके लिए उसने बीसीएस टूर एंड ट्रेवल्स से टिकट बुक कराए थे। वापस जयपुर आने के लिए वह 27 सितंबर 2012 को मुंबई उतरा था। वहां कीनिया एयरवेज ने उसका हैंड बैग जब्त कर लिया। इसके चलते उसे मुम्बई में तीन दिन अनावश्यक रुकना पड़ा। हैंड बैग में दवा और कपड़े आदि भी थे। दवा के अभाव में परिवादी बीमार भी हो गया। ऐसे में उसे कुल चार लाख 75 हजार रुपए का हर्जाना दिलाया जाए।

जयपुर में 250 मोबाइल लूटने वाले बदमाश दबोचे, 121 फोन बरामद

यू-ट्यूब से लॉक खोलना सीखा और दोनों बन गए मोबाइल चोर

जयपुर। जयपुर शहर में बीते दो सालों में करीब 250 मोबाइल फोन लूटने व चुराने की वारदात करने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को संजय सर्किल थाना पुलिस ने केस का खुलासा किया। दोनों बदमाशों से पुलिस ने चुराए व लूटे गए 121 मोबाइल फोन बरामद कर लिए है। इनमें पांच हजार से लेकर 25 से 30 हजार रुपए तक के मोबाइल फोन भी है।

प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि नशे की लत पूरी करने के लिए बदमाशों ने मोबाइल फोन चुराना व लूटना शुरु कर दिया। इनमें एक लुटेरा ऑटोरिक्शा चालक है। बदमाशों ने यूट्यूब वीडियो देखकर मोबाइल के लॉक खोलने का तरीका सीखा और सुनसान जगहों पर वारदातें करने लगे।

डीसीपी (नार्थ) परिस देशमुख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आरिफ नूर मोहम्मद (22) कोटा जिले में मकबरा क्षेत्र में घंटाघर कसाई बाड़ा का रहने वाला है। जयपुर में पिछले काफी समय से ऑटोरिक्शा चलाता है और सेक्टर 8, विद्याधर नगर में रहता है। दूसरा आरोपी शकील (36) टोंक जिले में निवाई स्थित शिवाजी कॉलोनी का रहने वाला है। जयपुर में दशहरा मैदान, विद्याधर नगर में रहता है।

एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि सवाईमाधोपुर में बौंली क्षेत्र के अलूदा गांव में रहने वाले बहादुर सिंह ने 5 जनवरी को संजय सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि उनके भाई का मोबाइल फो टैक्सी कार में स्टैण्ट में आगे रखा हुआ था। बाइक सवार दो युवक आए। वे टैक्सी कार में आगे रखा मोबाइल उठाकर ले गये। पीड़ितों ने पीछा कर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश पकड़े नहीं जा सके। थानाप्रभारी मोहम्मद शरीफ के सुपरविजन में पड़ताल शुरु हुई। कांस्टेबल सोनू सिंह की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना पर संदिग्धों की निगरानी करके ऑटोरिक्शा चालक आरिफ नूर मोहम्मद को पकड़ा। दोनों बदमाश सड़क किनारे खड़े वाहनों, रात्री में बस स्टैंड व फुटपाथ पर सो रहे लोगों व राहगीरों के मोबाइल फोन लूटते हैं और कुछ दिन बाद आर्थिक तंगी बताकर अनजान लोगों फोन बेच देते है और नशा करते है।

संजय सर्किल थाना पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

- **खुद को गरीब बताकर राह चलते लोगों को बेचते थे मोबाइल, रकम लेकर नशा करते**

शादी-समारोह की अनुमति नहीं ली तो 10 हजार रु. जुर्माना देना होगा

जयपुर (कासं)। राज्य में तेजी से बढ़ते करोना संक्रमण के चलते सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जहां अब शादी-समारोह में 100 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई हैं, वहीं अनुमति न लेने पर 10 हजार रु. जुर्माना भी वसूलने की तैयारी है। हालांकि गत वर्ष जुर्माने की यह रकम 25 हजार रु. तक थी।

राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी एक्ट में संसोधन करते हुए शुक्रवार को नई अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि शादी तथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृति व धार्मिक समारोह तथा रैली, धरना-प्रदर्शन, जूलूस और मेले के आयोजन की पूर्व सूचना डीओआईटी द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे किये तो 10 हजार रु. जुर्माना लगेगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल जैसे वैक्सीन की डबल डोज, मास्क, सैनेटाइजर और दो गज की दूरी जैसे नियम-कायदों की पालना नहीं की तो अलग से 10 हजार रु. चुकाने पड़ेंगे। शादी समारोह की पूर्व सूचना उपखंड अधिकारी को देनी होगी। साथ ही वीडियोग्राफी भी करवानी हो, जो कि सरकार द्वारा मांगने पर देनी पड़ेगी।

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ थाने में शिकायत

महिला के बालों में थूकने का वीडियो हुआ था वायरल

जयपुर (कासं)। एक शो में बाल काटते वक्त महिला के बालों में थूकना मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को भारी पड़ रहा है। बालों में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल कोतवाली थाने पहुंची। उन्होंने जावेद हबीब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिखा है और जावेद हबीब की इस हरकत के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जावेद हबीब को एक नोटिस भी जारी किया है।

कांग्रेस नेत्री ज्योति खंडेलवाल ने बताया कि वीडियो सामने के बाद उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत दी। इस तरह की हरकत महिलाओं का अपमान है। थाना अधिकारी ओम प्रकाश मतवा ने बताया कि परिवाद के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शो में मौजूद जावेद हबीब हेयर स्टाइल के गुर सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वे कुर्सी पर बैठी महिला के बालों को काटते हुए कह रहे है कि यदि आपने शैंपू नहीं किया है, आपके बाल गंदे है। पानी नहीं है तो यह कहते हुए महिला के बालों पर थूक देते है। फिर हंसते हुए कहते है कि इस थूक में जान है। इसके बाद शो में मौजूद महिलाओं में हंसी का ठहाका फूट पड़ता है। जानकारी के अनुसार जावेद ने जिस महिला के बालों पर थूका। वह भी एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है और उत्तरप्रदेश में बागपत की रहने वाली है। यह वीडियो वायरल होने पर महिला को भी जावेद हबीब के द्वारा उनके बालों पर थूकने का पता चला। जिसका महिला ने विरोध जताया। इस बीच वीडियो वायरल होने से जावेद की मुश्किलें बढ़ गई। कई शहरों में जावेद की इस हरकत का सामाजिक संगठनों ने विरोध किया और इसे शर्मनाक बताया।

कांग्रेस नेत्री ज्योति खंडेलवाल ने कोतवाली थाने में पहुंचकर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक को लेकर सुनवाई 15 तक टली

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर लगी रोक के मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश कुणाल रावत की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एजी एमएस सिंघवी ने अदालत से कहा कि बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए लेडर आ चुका है। इसलिए 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक को हटाया जाए। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि लेडर तो आ चुका है, लेकिन उसका संचालन नहीं किया जा रहा है और ना ही उसे नगर निगम को ही सौंपा गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है। जनहित याचिका में शहर के विद्याधर नगर में एक मकान में आग लगने से पांच लोगों की मौत का हवाला देते हुए फायर बिग्रेड स्टेशनों में संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया गया है। हाईकोर्ट ने ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लेडर नहीं आने तक 32 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी।

करोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते राजनीतिक कार्यक्रमों पर ब्रेक

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद में राजनीतिक कार्यक्रमों पर ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करोना संक्रमित होने के बाद कांग्रेस ने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर दो दिवसीय स्थानीय निकाय प्रमुखों की कार्यशाला के दूसरे दिन के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ आगे होने वाले अधिवेशन और अन्य कार्यक्रमों पर भी ब्रेक लग गया है। हालांकि अभी तक मंत्रियों की जनसुनवाई को लेकर कोई आदेश नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने कार्यक्रम स्थगित किए हैं। उससे लगता है कि अगले सप्ताह से मंत्रियों की जनसुनवाई भी स्थगित कर दी जाएगी।

दिसम्बर महीने में राजस्थान में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद जनवरी महीने में 6 ओर 7 को कांग्रेस के नगर निकाय में जीते हुए चैयरमैन ओर वाइस चैयरमैन की कार्यशाला जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पर बुलाई गई थी। 6 जनवरी को पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए कांग्रेस ने कार्यशाला कर ली, लेकिन 6 जनवरी की दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आए थे और उसके बाद जांच में वे करोना पॉजिटिव आए थे। इसके बाद शुक्रवार 7 जनवरी को होने वाली 3 संभागों की कार्यशाला को करोना के बढ़ते असर के चलते स्थगित कर दिया गया है।

- **प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली मंत्रियों की जनसुनवाई भी स्थगित होगी**
- **कांग्रेस ने स्थानीय निकाय प्रमुखों की कार्यशाला को किया स्थगित, अधिवेशन भी नहीं होगा**

प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को स्थगित करने के साथ ही कांग्रेस ने अपने जिलों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। करोना प्रसार का असर सीधे तौर पर पार्टी के उस अधिवेशन पर भी पड़ा है। यह अधिवेशन 16 और 17 जनवरी को जयपुर में होने जा रहा था। इसी अधिवेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी सरकार को जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजते, लेकिन अब यह अधिवेशन भी स्थगित कर दिया गया है। संगठन महामंत्री को लिखे अपने पत्र में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एआईसीसी से कहा है कि करोना की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों को या तो स्थगित किए जाए या फिर वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाएं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का वर्चुअल तरीके से होना संभव नहीं होता है, ऐसे में अब इन सभी कार्यक्रमों की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा।

सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने के बाद अब आगामी सप्ताह होने वाली मंत्री जनसुनवाई भी स्थगित होंगी। इस पर भी एक दो दिन में निर्णय ले लिए जाएगा और सम्भव है कि जनसुनवाई भी कुछ दिनों तक स्थगित कर दी जाए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करोना पॉजिटिव आ गए और कोविड जांच से पहले मुख्यमंत्री का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ था। इस कारण कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को सैनेटाइज करवाया जायेगा।